

प्रपत्र-अ

4/1

षोडश विधानसभा का तृतीय सत्र (जुलाई-2024) सदन में उत्तर देने का दिनांक 04/07/2024
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 710 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सोहनलाल बाल्मीक

नवीन 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन निर्माण कार्य चयन करने के मापदंड

- यदि 11 के.व्ही. फीडर की लंबाई 30 कि.मी. से अधिक है और अधिकतम भार 150 एम्पियर से अधिक है और वोल्टेज विनियमन निर्धारित सीमा से अधिक (9 प्रतिशत से अधिक) (वर्तमान में रैबिट कंडक्टर का उपयोग किया जाता है।)
- 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन केवल तभी प्रस्तावित किया जाता है जब अतिभारित एवं कम वोल्टेज वाले 11 के.व्ही. फीडर की समस्या वाले फीडर को एक ही सबस्टेशन से 11 के.व्ही. फीडर विभक्तिकरण या निकटवर्ती 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र से 11 के.व्ही. फीडर के इंटरकनेक्शन की कोई संभावना नहीं है।
- 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन हेतु भूमि विद्यमान 11 के.व्ही. फीडरों के भौतिक स्थिति अनुसार लोड सेंटर के पास होगी।
- जगह की कमी और भूमि की बढ़ती लागत को देखते हुए प्रत्येक प्रस्तावित सब स्टेशन में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर और बे (भविष्य से लोड वृद्धि के लिए) के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- साइट ऐसी होनी चाहिए कि 33 के.व्ही. फीडरों को निकलने के लिए सुविधाजनक हो।
- बारिश के दौरान बाढ़ से बचने के लिए साइट निचले क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।

अनुमोदित अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

1/2

प्रपत्र-ब

षोडश विधानसभा का तृतीय सत्र (जुलाई-2024) सदन में उत्तर देने का दिनांक 04/07/2024
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 710 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सोहनलाल बाल्मीक

परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आर.डी.एस.एस. योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची

क्रं.	स्थान	स्वीकृत कार्य
1	दमुआ माल	01 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र
2	खिरसाडोह	01 नग 33/11 के.व्ही. लाईन इंटरकनेक्शन
3	चरई, पगारा, उमरेठ, गाजनडोह, रिधौरा, मोरडोंगरी, बिजौरी, कुंडालीकलों, बीजागोरा, खिरसाडोह	13 नग केपेसिटर बैंक की स्थापना
4	कापरवाडी, शिवपुरी, बेलगांव, कुकरगुण्डा	9.01 किमी 11 के.व्ही. लाईन बायफरकेशन
5	कन्हरगांव, मोठार, उमरेठ	1.36 किमी 11 के.व्ही. लाईन इंटरकनेक्शन
6	कापरवाडी, शिवपुरी, बेलगांव, कुकरगुण्डा, कन्हरगांव, मोठार, उमरेठ	43.58 किमी निम्नदाब केबल की क्षमतावृद्धि
7	कापरवाडी, शिवपुरी, बेलगांव, कुकरगुण्डा, कन्हरगांव, मोठार, उमरेठ	15.83 किमी निम्नदाब लाईन केबलीकरण

परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आर.डी.एस.एस. योजना के तहत प्रस्तावित, स्वीकृति हेतु शेष कार्यों की सूची

क्रं.	स्थान	स्वीकृत हेतु लंबित
1	कुंडालीकलों, उमरेठ, खिरसाडोह, बीजागोरा, पगारा, बड़कुही, रिधौरा, गाजनडोह, परासिया, चांदामेटा, गोरडोंगरी, मानकादेही, चरई, बिजौरी	14 नग 33./11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का उन्नयन (रिनोवेशन)
2	परासिया	01 नग अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर 3.15 एम.व्ही.ए. की स्थापना
3	बीजागोरा, कुंडालीकलो, मानकादेही, उमरेठ पगारा	05 नग पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि (05 एम.व्ही.ए. से 08 एम.व्ही.ए.)
4	विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर	416 नग अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर
5	विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर	674 नग वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

षोडश विधानसभा का तृतीय सत्र (जुलाई-2024) सदन में उतर देने का दिनांक 04/07/2024
विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 710 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सोहनलाल वाल्मीकि
ग्रामवार विद्युत सप्लाई संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु की गई कार्यवाही

क्र.	प्राप्त पत्र क्रमांक एवं दिनांक	विषय	कार्यवाही विवरण	दिनांक
1.	136 दिनांक 07.02.2022 138 दिनांक 07.02.2024, 260 दिनांक 04.05.2024 नहीं अपितु पत्र क्रमांक 281 दिनांक 22.05.2024	परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दमुआ एवं ग्राम कोहका के बीच में 33/11 के.व्ही. का विद्युत सबस्टेशन(उपकेन्द्र) स्थापित किये जाने की स्वीकृति हेतु।	ग्राम कोहका, दमुआ, धमनिया में छिंदी वितरण केन्द्र के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र छिंदी से निकलने वाले 11 के.व्ही. सिधौली (मिक्स) फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती थी जिसकी लंबाई 79.60कि.मी.,बोल्टेज रेगुलेशन 17.48 प्रतिशत, अधिकतम भार 72 एम्पीयर था। ग्रामों में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र छिंदी से 01 नवीन 'वे' तैयार कर 01 कि.मी. नवीन 11 के.व्ही. लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे 11 के.व्ही. सिधौली फीडर 02 ग्रामों में विभक्त हो गया है। उक्त फीडर की लंबाई एवं भार कम हो जाने से ग्राम कोहका, दमुआ, धमनिया में पूर्व में होने वाली विद्युत समस्या का निराकरण कर दिया गया है। ग्राम लोहारी बांदरी में 11 के.व्ही. नागरी फीडर(मिक्स) द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसकी लंबाई 72 कि.मी.,बोल्टेज रेगुलेशन 13 प्रतिशत है एवं अधिकतम भार 101 एम्पियर है। उक्त फीडर का आ.डी.एन.एस. योजना के तहत विभाक्तिकरण प्रस्तावित है, जिससे उक्त क्षेत्र में निर्वाध विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। उक्त ग्रामों को पगारा उपकेन्द्र के 11 के.व्ही. छिन्दा मिक्स फीडर से जोड़ा जाता है तो लगभग 12 नवीन 11 के.व्ही. लाईन की आवश्यकता होगी व सघन वन एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वन विभाग से अनुमति की भी आवश्यकता होगी। वर्तमान में छिन्दा मिक्स फीडर की लंबाई 61 कि.मी. है, बोल्टेज रेगुलेशन 19.99 प्रतिशत है, इस कारण उपरोक्त ग्रामों को पगारा उपकेन्द्र से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। उक्त ग्रामों की समस्या के निराकरण हेतु आ.डी.एन.एस. योजना के अंतर्गत फीडर विभाक्तिकरण प्रस्तावित है जिससे उक्त क्षेत्रों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। अतः उक्त ग्रामों को पगारा उपकेन्द्र से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया। ग्राम सुठिया में वर्तमान में तामिया वितरण के 33/11 के.व्ही. तामिया उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के.व्ही. लिंगा फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। उक्त फीडर की लंबाई 45 कि.मी., बोल्टेज रेगुलेशन 5.32 प्रतिशत है एवं अधिकतम भार 55 एम्पियर है जिसका बोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा के अंदर है। उक्त ग्राम को पगारा उपकेन्द्र से जोड़ने हेतु लगभग 20 कि.मी. नवीन 11 के.व्ही. लाईन की आवश्यकता होगी। अतः उक्त ग्रामों को पगारा उपकेन्द्र से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया।	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कंपनी के पत्र क्रमांक 560 दिनांक 06.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 567 दिनांक 07.06.2024 द्वारा विभाग एवं संबंधितों को जानकारी प्रेषित।

5/5
असिस्टेंट सचिव
विभाग म.प्र. शासन
भोपाल